कम्प्यूटर परिपत्र सं0

पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र वैट व्यवस्था /2008 /

2517 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(चेक पोस्ट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 12 मार्च 2008

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0अनु0शा0/प्र0/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य)

डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर /चेक पोस्ट / रेलवे चेक पोस्ट/

सचलदल /वि0अनु0शा/कर निर्धारण, वाणिज्य कर उ0प्र0

वाणिज्य कर अधिकारी , उ0प्र0 ।

Key word 1-47-Import / Verification Forms / Penalty

हाईड मर्चेन्ट एसोसिएशन कानपुर द्वारा इसआशय का प्रत्यावेदन दिया गया है कि दि0 01.01.2008 से व्यापार कर अधिनियम के स्थान पर वैट व्यवस्था प्रभावी कर दिए जाने के कारण छोटे-छोटे व्यापारियों / व्यक्तियों द्वारा थोड़ा-थोड़ा कच्चा चमड़ा एकत्र करके आढ़त में बिक्री हेतु लाए जाने में उन्हें समस्याएं आ रही हैं। एसोसिएशन द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि पूर्व में ऐसी समस्या आने पर मुख्यालय के परिपत्रसं0 -चेकपोस्ट-118/82-83/1819 दि0 17.09.82 से जो व्यवस्था की गयी थी, उसका अनुपालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए जिससे कच्चे चमड़े के व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण हो सके।

2-परिपत्रसं0 -चेकपोस्ट-118/82-83/1819 दि0 17.09.82 सें निम्न निर्देश जारी किए गए है :-

" चमड़ा व्यवसाय के कुछ छोटे- छोटे व्यापारी (पैकार) प्रदेश के अन्दर से गॉव / देहातों से कच्चा चमड़ा जमा करके उसे बैलगाडी,ठेला अथवा ट्रक द्वारा लाकर आढतों व टैनरियों को बेचते हैं / देते हैं। सामान्यत: उक्त प्रकार के कच्चे चमड़े से लदे ठेलों, बैलगाड़ियों तथा ट्रकों की जॉच उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार अन्य सामान्य ट्रकों की, जिससे छोटे-छोटे व्यापारियों को असुविधा हो रही है।

अतएव् यह निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में कच्चे चमड़े से लदे वाहनों की जांच करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जाए। यदि लाए जा रहे चमड़े के सम्बन्ध में चेकिंग केसमय पैकार द्वारा कमीशन एजेन्ट, टैंनरी का पर्चा प्रस्तुत किया जाता है और जॉच करने पर उक्त कमीशन एजेन्ट / टेनरी विभाग में पंजीकृत पाए जाते हैं तब व्यापारी से कोई जमानत न ली जाए, परन्तु अन्यथा स्थिति में देय कर के बराबर जमानत / अर्थदंड लेकर माल अवमुक्त कर दिया जाए। जिन मामलों में जमानत ली जाए उनका विवरण सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को अर्थदंड / समायोजन की अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व निर्देशानुसार समय से अवश्य भेज दिया जाए।"

3- कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 0708113 दिनांक 29-12-07 पत्रसंख्या - स0के0 25क - वैट व्यवस्था -2007 / 479 /वाणिज्य कर दिनांक 29-12-2007 से यह निर्देश पूर्व में ही प्रसारित किये जा चुके है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा विभिन्न परिपत्रों से जारी किये गये निर्देश अग्रिम आदेशों तकप्रभावीरहेंगे।

4- एसोसिएशन द्वारा उठाई गई समस्याओं के निराकरण के लिए निम्न निर्देश दिए जाते हैं :-

" भविष्य में कच्चे चमड़े से लदे वाहनों की जांच करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जाए। यदि लाए जा रहे चमड़े के सम्बन्ध में चेकिंग केसमय पैकार द्वारा कमीशन एजेन्ट, टैंनरी का क्रमांकित चालान, जिसमें यह प्रमाणित हो कि प्रश्नगत माल उनके यहां बिकने के लिए आ रहा है , प्रस्तुत किया जाता है और जॉच करने पर उक्त कमीशन एजेन्ट / टेनरी विभाग में पंजीकृत पाए जाते हैं तब व्यापारी से कोई जमानत न ली जाए, परन्तु अन्यथा स्थिति में देय कर के बराबर जमानत / अर्थदंड लेकर माल अवमुक्त कर दिया जाए। जिन मामलों में जमानत ली जाए उनका विवरण सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को अर्थदंड / समायोजन की अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व निर्देशानुसार समय से अवश्य भेज दिया जाए। "

निर्देशों का अनुपालन तत्काल अत्यन्त कठोरता से सुनिश्चित किया / कराया जाए।

11.3.08

(सुनील कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2- अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

3- समस्त सदस्य , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश।

4- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ

5- समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय।

6- महामंत्री हाईड मर्चेन्ट एसोसिएशन 98 / 157 पेच बाग , कानपुर।

7- चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियॉ अतिरिक्त।

(जगमोहन लाल शर्मा)
ज्वाइंट कमिश्नर (चे0पो0) वाणिज्य कर ,
मुख्यालय , लखनऊ